

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवंप्रो. रा.यो./क्रय/2013-14/1609 दिनांक 3-10-17

आदेश


देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग की, राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को वर्ष 2013-14 के लिये स्कूटी वितरण हेतु मैं टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 4, हरिता होसूर, -635109, तमिलनाडू को विभाग के पत्र क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2013-14/1600-01 दिनांक 3-10-17 द्वारा डी.जी. एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों पर तथा नियम, शर्तों, गारन्टी-वारन्टी के अध्यक्षीन स्वीकृत संलग्न सूची के अनुसार 1008 (एक हजार आठ) स्कूटियों का आपूर्ति आदेश दिया गया है। कम्पनी के संस्थागत सैल्स मैनेजर, गुजरात अम्बूजा कॉम्प्लेक्स, झोटवाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-12 द्वारा दिनांक: 13.9.2013 से प्रति स्कूटी दर रु. 38,385/- (रुपये अड़तीस हजार तीन सौ पिच्यसी मात्र) से 1008 (एक हजार आठ) का क्रय मूल्य राशि रु. 3,86,92,080/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ छियासी लाख बरानवे हजार अस्सी मात्र) देय बनती है। पूर्व में कम्पनी ने दौ सौ दस स्कूटी के पेटे दौ सौ नो स्कूटियां ही सप्लाय की थी। इस तरह कम्पनी के पास एक स्कूटी का भुगतान पूर्व में ही जमा है। अतः कम्पनी को शेष एक हजार सात स्कूटी का भुगतान प्रति स्कूटी दर रु. 38,385/- से राशि रुपये 3,86,53,695/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार छः सौ पिचयानवे मात्र) देय होता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 26 एवं भाग तृतीय में दी गयी शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या 29 के अन्तर्गत फर्म को कुल भुगतान योग्य राशि रुपये 3,86,53,695/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार छः सौ पिचयानवे मात्र) का 98 प्रतिशत राशि रुपये 3,78,80,621/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ अठहतर लाख अस्सी हजार छः सौ इक्कीस मात्र) अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान टी.वी.एस. स्कूटी पेप + की आपूर्ति तथा सन्तोषप्रद निरीक्षण रिपोर्ट बाद किया जावेगा।

स्वीकृत राशि का भुगतान सत्र 2013-14 में निम्न बजट मद से किया जावेगा।


आयोजना

- 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 196- जिला परिषद्/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
- (13)-देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)
- [03]-देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
- 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)


(नवीन जैन)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवंप्रो. रा.यो./क्रय/2013-14/1610-21 दिनांक 3-10-17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय शिक्षा, जयपुर।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./स्कूटी क्रय/ 2013-14/1600 दिनांक 3/10/13

M/s. TVS Motor Company Ltd.
Post Box No. 4,
Harita Hosur-635109
TAMILNADU.

विषय :- टी.वी.एस. स्कूटी पेप + डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कान्ट्रैक्ट पर आपूर्ति बाबत।

संदर्भ :- DGS & D rate contrat No. Motorcycle/CH-3/Rc-28030000/0114/232/05834/51 दिनांक 12-09-2013 तथा कम्पनी के संस्थागत सैल्स मैनेजर श्री, अमन सिसोदिया के पत्रांक दिनांक 13-09-2103


उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत डी.जी.एस. एण्ड डी द्वारा वर्ष 2013-14 की अनुमोदित दरों पर वर्ष 2013-14 हेतु 1008 (एक हजार आठ) स्कूटी पेप प्लस का आपूर्ति आदेश प्रति स्कूटी राशि रुपये 38,385/- (अड़तीस हजार तीन सौ पिच्यासी रुपये मात्र) की दर से स्वीकृत की जाती है। स्कूटियों की आपूर्ति निम्नानुसार की जावें :-

1. आईटम:- टी.वी.एस. स्कूटी पेप +
2. स्कूटियों की संख्या:- 1008 (एक हजार आठ)
3. प्रति स्कूटी मूल्य राशि:- 38,385/- रुपये
4. निदेशालय के आदेश क्रमांक 1475 दिनांक 05-09-2013 से स्वीकृत दौ सौ दस स्कूटी में से एक स्कूटी निरस्त करने के कारण कम्पनी द्वारा दौ सौ नौ स्कूटियां सप्लाई की थी। इस तरह कम्पनी के पास एक स्कूटी का भुगतान पूर्व में ही जमा है। अतः कम्पनी को एक हजार सात स्कूटियों का भुगतान प्रति स्कूटी दर रु. 38,385/- से कुल राशि रुपये 3,86,53,695/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ छियासी लाख तिरपन हजार छः सौ पिचयानवें मात्र) देय है।
5. कुल राशि रुपये 3,86,53,695/- का 98 प्रतिशत अग्रिम रुपये 3,78,80,621/- (अक्षरे राशि रुपये तीन करोड़ अठहतर लाख अस्सी हजार छः सौ इक्कीस मात्र) - शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान स्कूटियों की आपूर्ति बाद किया जावेगा।
6. आपूर्ति स्थान:- छात्रा के अध्ययनरत राजकीय महाविद्यालय राजस्थान में देनी होगी। (स्वीकृत सूची संलग्न है)
7. आपूर्ति अवधि:- स्कूटियों की आपूर्ति अतिशीघ्र एवं डी.जी.एस. एण्ड डी के नियम सम्मत की जावें।
8. आपूर्ति के समय स्कूटी में 02 (दो) लीटर पेट्रोल होना चाहिये।
9. उक्त क्रय आदेश डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों एवं नियम तथा शर्तों के तहत दिया जाता है।


(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./स्कूटी क्रय/ 2013-14/1601-07 दिनांक 3/10/13
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख हे कि छात्रा द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्ड्री की मूल अंकतालिका से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2013-14 में उक्त छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत है। प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकी कार्मिक से निरीक्षण करा कर, स्टॉक एन्ट्री कर रजिस्ट्रेशन तथा एक वर्ष का बीमा अपने स्तर पर करावे। तत्पश्चात् छात्रा को स्कूटी सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता/ अभिभावक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।


(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)